

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120]	दिल्ली, शुक्रवार, जून 24, 2016/आषाढ़ 3, 1938	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 77]
No. 120]	DELHI, FRIDAY, JUNE 24, 2016/ASADHA 3, 1938	[N.C.T.D. No. 77]

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 23 जून, 2016

सं. फा. 16(515)/श.वि./डब्ल्यू /2015/1033.1034—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सक्षम प्राधिकारी की दिनांक 12.2.2015 के आदेशों के अनुसार अनुमोदित तथा दिनांक 08.05.2015 के पत्र सं० 3/24(6)/2015—आरआर के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई सहमति से तथा दिनांक 31.01.1985 की अधिसूचना संख्या फा० 09/22/84—एलएसजी/7618 द्वारा अधिसूचित सहायक जीवाणु वैज्ञानिक भर्ती तथा पदोन्नति विनियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातें या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर दिल्ली जल बोर्ड में सहायक जीवाणु वैज्ञानिक के पद की भर्ती पद्धति संबंधी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ**—(1) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड **सहायक जीवाणु वैज्ञानिक** के पद के भर्ती तथा पदोन्नति विनियम, 2016 कहा जाये।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे बैंड तथा ग्रेड पे/वेतनमान**—उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण, पे बैंड तथा ग्रेड पे तथा उसके साथ संलग्न वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अन्य योग्यताएं**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता**—कोई भी व्यक्ति
 - (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या
 - (ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

शर्त यह है कि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. छूट प्रदान करने की शक्ति.—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. बचाव.—इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	सहायक जीवाणु वैज्ञानिक
2.	पदों की संख्या	:	13 (2015) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	श्रेणी "ख"
4.	पे बैंड एवं ग्रेड पे / वेतनमान	:	वेतन समूह-2 में 9300-34800/-रुपये (ग्रेड पे 4600/-रुपये)
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	30 वर्ष से अधिक नहीं नोट 1: — केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय। नोट 2: — आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि है तथा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	अनिवार्य :- (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से जीव रसायन/सूक्ष्म जीव विज्ञान/जीवाणु विज्ञान/जीव प्रौद्योगिकी/ प्राणी विज्ञान में मास्टर डिग्री; तथा (ख)(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से रसायन/जीव रसायन/सूक्ष्म जीव विज्ञान/ जीवाणु विज्ञान/जीव प्रौद्योगिकी/ प्राणी विज्ञान में डिग्री; तथा (2) जल के जीवाणु विज्ञान परीक्षण में दो वर्ष का अनुभव, अथवा टीप-1 अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। टीप-2 यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	सीधी भर्ती के लिये दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	सीधी भर्ती द्वारा टीप: — पदधारियों द्वारा एक वर्ष या अधिक अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर जाने या लम्बी रुग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेंगी। क. (1) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) मूल संवर्ग/विभाग में पे बैंड-2 में 9300-34,800 रु०, ग्रेड पे 4200/-रुपये सहित

		नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा सहित (ख) कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले:- टीप-1: केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है। यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी। टीप: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 (जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है) से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। जहाँ पर पूर्व संशोधित एक से अधिक वेतनमानों का विलय साझे ग्रेड/वेतनमान सहित एक ग्रेड में किया जा चुका है, और जहाँ ये लाम उस/उन पद/पदों के लिये ही विस्तारित हैं जिसके लिये यह ग्रेड पे/वेतनमान किसी प्रकार के अपग्रेडेशन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) ग्रेड है।
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ विलयन किया जाना है	: लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	: "ख" वर्गीय विभागीय स्थायीकरण समिति (पदोन्नति पर विचारार्थ) 1. सदस्य (प्रशासन) — अध्यक्ष 2. निदेशक (ए एण्ड पी) — सदस्य 3. निदेशक शोधन गुणवत्ता एवं नियंत्रण — सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	: संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

आर. सी. केसरवानी, सहायक निदेशक (जल)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 23rd June, 2016

No. 16(515)/UD/W/2015/1033-1034.—The following Recruitment Regulations made by the Delhi Water Board in exercise of powers conferred by clause(m) sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) approved by Competent Authority by orders dated the 12th February, 2015 and concurred by the Union Public Service Commission vide letter No. 3/24(6)/2015-RR dated 8th May, 2015 and in supersession of the Assistant Bacteriologist recruitment and promotion regulations notified vide notification No. F9/22/84-LSG/7618 dated the 31st January, 1985, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, Regarding method of Recruitment to the post of Assistant Bacteriologist in the Delhi Water Board, Delhi are hereby published, namely:-

- Short title and commencement:-** These regulations may be called the Assistant Bacteriologist in Delhi Jal Board Recruitment and promotion Regulation, 2016.
- Number of posts, Classification and pay band and grade pay/scale of pay:-** The number of posts, their classification and pay band and grade pay/scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
- Method of recruitment, age limit and other qualifications:-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- Disqualifications:-** No person,
(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
Shall be eligible for appointment to the service.

Provided that Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any persons from the operations of this regulation.

5. Power to relax :- Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation

with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving :- Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post.	Number of Post.	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale.	Whether selection or non-Selection post.	Age limit for direct Recruits.	Educational and other qualification Required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Assistant Bacteriologist	13 (2015) Subject to variation dependent on workload.	Category 'B'.	PB-2 Rs. 9300-34,800 with Grade pay of Rs. 4600/-.	Not applicable.	Not exceeding 30 years Note-1 Relaxable for government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note-2:- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State Lahaul & Spiti District and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential :- (A) Master Degree in Bio-chemistry/ Microbiology/Bacteriology/Bio-Technology/Zoology from a recognized University or Institute. OR (B) (i) Degree in Science with Chemistry/Bio-Chemistry/ Biology/Microbiology/Bacteriology/Bio-Technology of a recognized University/Institute; And (ii) Two years' experience in Bacteriological examination of water. Note1: Qualification are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to scheduled castes or scheduled tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
8	9	10
Not applicable.	Two years for direct recruits.	<p>By Direct recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of central government:-</p> <p>(A)(1) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or</p> <p>II) With five years' services in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in PB-2, Rs-9300-34800/-with grade pay of Rs. 4200/- or equivalent in the parent cadre/department; and</p> <p>(B) Possessing Educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.</p> <p>Note:1 Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the central govt. shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note: 2 For the purpose of appointment on deputation basis, The service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If a DPC exists, what is its Composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making Recruitment.
11	12	13
Not applicable.	<p>Category 'B'</p> <p><u>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation.) consisting of:</u></p> <p>1. Member (Admn.) - Chairman</p> <p>2. Director (A&P) -Member</p> <p>3. Director Treatment Quality & Control -Member</p>	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

By Order and in the name of Govt. of
National Capital Territory of Delhi,

R. C. KESARWANI, Asstt. Director (W)